[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 01/2019-सीमाशुल्क (गै. टे.)

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2019

सा.का.नि. (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 76 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एततद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 208/1977-सीमाशुल्क, दिनांक 01 अक्टूबर, 1977, जिसे सा.का.नि. 1318, दिनांक 01 अक्टूबर, 1977 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i), में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है; नामशः -

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2, शर्त (ii) में "जयगाँव, मोरेह या नेपालगंज रोड" शब्दों के स्थान पर "जयगाँव, मोरेह, नेपालगंज रोड या बरह्नी" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(फा.सं.609/57/2018-डीबीके)

(आनन्द कुमार झा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना सं. 208/77-सीमाशुल्क, दिनांक 01 अक्टूबर, 1977 को सा.का.नि. 1318, दिनांक 01 अक्टूबर, 1977 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 101/2013- सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 27 सितम्बर, 2013, सा.का.नि. 2936(अ) दिनांक 27 सितम्बर, 2013 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।